अनुदान संख्या 55 – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 55–TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1768,39,00	1933,40,00	1853,14,03	–80,25,97
पूरक	Supplementary	165,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				80,26,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		72,00,00	72,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (8025.97 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 16501.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 49 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (8026.00 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8025.97 lakhs) constituted 49 percent of the supplementary grants of Rs.16501.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 4 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (Rs.8026.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	176839.00	185314.00	185314.03	+0.03
पू.	S.	16501.00			
पु.	R.	–8026.00			

(I) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पांड़िचेरी'' के अंतर्गत 13637.00 लाख रु. के मूल प्रावधान का 1500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15137.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए निधियों का कम उपयोग होने के कारण 102.35 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' के अंतर्गत 43179.62 लाख रु. की बचत (124002.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (12888.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''योजनेतर अनुदान - केंद्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से के बदले में अनुदान - पांडिचेरी'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें ''योजनेतर अनुदान - योजनेतर घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान - पांडिचेरी'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 22368.00 लाख रु. का अधिक व्यय (15000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 51700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांडिचेरी में चक्रवाती तूफान निशा के कारण हुई क्षति के लिए अंतरिम राहत उपलब्ध कराए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Grants for Union Territory Plan Schemes – Block Grants – Pondicherry" – the original provision of Rs.13637.00 lakhs was augmented to Rs.15137.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.102.35 lakhs - due to less utilisation of funds for reconstruction of damage infrastructure owing to floods.

(II) Under "Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants - National Capital Territory of Delhi"- saving of Rs.43179.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.124002.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of project under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission from Ministry of Urban Development and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

2.(I) The above savings were partly (Rs.12888.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under "Non-Plan Grants – Grants in lieu of shares of Central Taxes & Duties – Pondicherry".

(II) Savings were also offset by excess under "Non-Plan Grants - Grants to meet Non-Plan deficit- Puducherry" – excess of Rs.22368.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.51700.00 lakhs including supplementary grant of Rs.15000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for providing an interim relief for the damage caused by the Cyclonic Strom NISHA in Puducherry and implementation of 6th Central Pay Commission Report.